ए.

मौलिक बीमा कंपनी लिमिटेड।

वी.

मेसर्स तेजारस एसोसिएशन एक्सपोर्ट्स पी. वी. टी. लिमिटेड। (2009 की सिविल अपील सं. 6524)

बी.

अक्टूबर 03,2019

[आर**.** भानुमति और ए**.** एस**.** बोपन्ना**,** जे**.** जे**.]**

सीमा अधिनियम, 1963:एसएस।3, 5 और 14-मध्यस्थता पुरस्कार-अपीलार्थी ने निर्णय पर हमला करने के लिए यू/एस में याचिका दायर की।34 जयपुर जिला न्यायालय के समक्ष-प्रत्यर्थी द्वारा आपत्ति कि जोधपुर में कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ-जयपुर जिला न्यायालय ने याचिका को अपने समक्ष विचारणीय नहीं माना, लेकिन धारा 7 आर के तहत शक्ति का प्रयोग किया।10 और 10 ए और याचिका प्रस्तुत करने के लिए 2.4.2008 पर जिला न्यायालय जोधपुर के समक्ष उपस्थित होने और मामले के साथ आगे बढ़ने के निर्देश के साथ याचिका को अपीलार्थी को वापस कर दिया-हालाँकि, अपीलार्थी ने 2.4.2008 की निर्दिष्ट तिथि के बजाय केवल 10.4.2008 पर याचिका प्रस्तुत की-प्रत्यर्थी ने एस के तहत आवेदन दायर किया।3 जिला न्यायालय, जोधपुर के समक्ष सीमा अधिनियम की सीमा के आधार पर याचिका को अस्वीकार करने की मांग-अपीलार्थी ने एस के तहत आवेदन दायर किया।14 जिला न्यायाधीश, जयपुर के समक्ष कार्यवाही में बिताए गए समय को हटाने की मांग करने वाले सीमा अधिनियम-जिला न्यायालय जोधपुर ने एस के तहत याचिका को खारिज कर दिया।34 अधिनियम, 1996 की सीमा बिंदु पर-अपील भी उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई-इसलिए तत्काल अपील-आयोजित की गईःएस के तहत दायर याचिका।34 जयपुर में सीमा की अवधि के भीतर था-या 7 आर के तहत वापस किए जाने के बाद निर्धारित तिथि से आगे याचिका को फिर से प्रस्तुत करने में 8 दिनों की अवधि के लिए देरी थी।10 सी. पी. सी.-उस परिस्थिति में, भले ही "पर्याप्त कारण" शब्द एस के तहत निहित हो।5 सीमा अधिनियम पर ध्यान दिया जाता है, तथ्यों में यह एस के तहत याचिका के संदर्भ में नहीं था। 34 एस के तहत निर्धारित अवधि से अधिक देरी की माफी के लिए अधिनियम, 1996 का।

34(3) अधिनियम, 1996-जिला न्यायालय, जयपुर ने याचिका को उचित प्रस्तुति के लिए वापस करने का आदेश दिया था और तारीख तय की गई थी-प्रत्यर्थी द्वारा उक्त आदेश की शुद्धता पर हमला नहीं किया गया था, जिसमें याचिका की पूर्ण अस्वीकृति की मांग की गई थी, क्योंकि उस न्यायालय ने याचिका को दुर्भावनापूर्ण नहीं माना था-ऐसी परिस्थिति में, देरी का मुद्दा केवल 8 दिनों की देरी के संदर्भ में उत्पन्न हुआ, जैसा कि पुनः प्रस्तुति में अनुमति दी गई थी।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

228 ए.

229

मूल बीमा कंपनी लिमिटेड v.मेसर्स तेजारस एसोसिएशन एक्सपोर्ट्स पी. वी. टी. लिमिटेड।

जयपुर न्यायालय-इसलिए, जयपुर में न्यायालय के समक्ष बिताई गई पूरी अवधि को दुर्भावनापूर्ण मानने के लिए मामले की फिर से जांच करना ताकि अपीलार्थी पर मुकदमा न चलाया जा सके और एस के तहत कार्यवाही पर विचार करने से इनकार किया जा सके।34 अधिनियम, 1996 का जो पहली बार में सीमा की अवधि के भीतर शुरू किया गया था, उसके गुण-दोषों के आधार पर उचित नहीं था-उस दृष्टिकोण से, एस के तहत दायर आवेदन पर आदेश।14 और एस।3 जिला न्यायाधीश, जोधपुर द्वारा सीमा अधिनियम की कार्यवाही टिकाऊ नहीं थी-नतीजतन, मध्यस्थता आवेदन की कार्यवाही जिला न्यायाधीश, जोधपुर की फाइल में बहाल कर दी गई-पक्षकारों को उक्त न्यायालय के समक्ष 15.10.2019-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-या 7 r पर उपस्थित होना था।10 और 10 ए-मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 -एस. 34.

बी.

सी.

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़नाः**1.** आदेश **7** नियम **10** ए के अवलोकन से संकेत मिलता है कि अदालत में याचिका को फिर से प्रस्तुत करना, जो वापसी के आदेश में इंगित किया गया है, सभी परिस्थितियों में एक नई फाइलिंग के रूप में नहीं माना जा सकता है, जब इसे इस तरह के पुनः प्रस्तुत करने के लिए वादी को वापस किया जाता है।तत्काल मामले में, हालांकि अपीलार्थी ने आवेदन दायर नहीं किया था जिसमें अदालत को संकेत दिया गया था कि याचिका को फिर से प्रस्तुत किया जाएगा और सुनवाई की तारीख तय करने की मांग नहीं की गई थी, जयपुर में अदालत ने आदेश **7** नियम **11** सी. पी. सी. के तहत प्रत्यर्थी के आवेदन पर विचार करने के बाद याचिका को वापस करने का आदेश देते हुए उस अदालत को संकेत दिया था जिसमें इसे प्रस्तुत किया जाना था और उस उद्देश्य के लिए **02.04.2008** पर उपस्थित होने की तारीख।इसलिए, ऐसा नहीं है कि जब याचिका वापस की गई तो कार्यवाही अचानक समाप्त हो गई ताकि अगली फाइलिंग को एक नई याचिका के रूप में माना जा सके।उस परिस्थिति में जब जयपुर के जिला न्यायाधीश द्वारा समय दिया गया था और तारीख तय की गई थी और यदि किसी कारण से उस तारीख को फिर से प्रस्तुत करना संभव नहीं था, तो अपीलार्थी के लिए खुला पाठ्यक्रम जयपुर के न्यायालय के समक्ष सी. पी. सी. की धारा **148** के तहत एक आवेदन दायर करना था, जिसने वापसी का आदेश दिया और जोधपुर के न्यायालय में प्रस्तुत करने का समय तय किया, जिसमें पहले दिए गए समय को बढ़ाने का अनुरोध किया गया था।हालाँकि, चूंकि अपीलार्थी द्वारा इसका सहारा नहीं लिया गया था और याचिका को जोधपुर में जिला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि से लगभग **8** दिनों की देरी के साथ फिर से प्रस्तुत किया गया था और चूंकि कोई विस्तार भी नहीं मांगा गया था, इसलिए इस तरह की देरी की माफी मांगी जानी चाहिए थी।चूंकि याचिका देरी से दायर की गई थी और याचिका के साथ कोई अन्य आवेदन नहीं था, इसलिए प्रत्यर्थी ने सीमा की धारा **3** के तहत आवेदन दायर किया।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

ए.

अधिनियम जिसने सीमा अधिनियम की धारा **14** के तहत आवेदन दायर करने में अपीलार्थी द्वारा घुटने टेकने वाली प्रतिक्रिया को प्रेरित किया। आवेदन में कथन एक आवेदन की प्रकृति में था जिसमें जोधपुर में प्रस्तुत करने के लिए अदालत द्वारा निर्धारित तिथि के खिलाफ

याचिका को फिर से प्रस्तुत करने में देरी को माफ करने की मांग की गई थी।**[**पैरा **8-9] [236-**बी-सी**,** एफ-एच**; 237-**ए-सी**]**

बी.

2. विलंब की माफी पहली बार अधिनियम**, 1996** की धारा **34** के तहत याचिका दायर करने के लिए नहीं मांगी गई थी।जयपुर में अधिनियम**, 1996** की धारा **34** के तहत दायर याचिका सीमा की अवधि के भीतर थी और जिस बारे में स्पष्टीकरण दिया जाता है**,** वह सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश **7** नियम **10** के तहत वापस किए जाने के बाद निर्धारित तिथि से आगे याचिका को फिर से प्रस्तुत करने में **8** दिनों की अवधि के लिए है। इसलिए**,** उस परिस्थिति में भले ही सीमा अधिनियम की धारा **5** के तहत निहित "पर्याप्त कारण" शब्द पर ध्यान दिया जाए**,** वर्तमान तथ्यों में यह अधिनियम**, 1996** की धारा **34 (3)** के तहत निर्धारित अवधि से अधिक देरी को माफ करने के लिए अधिनियम**, 1996** की धारा **34** के तहत याचिका के संदर्भ में नहीं है।हालाँकि इस स्थिति पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि समय को हटाने के लिए दायर किया गया आवेदन सीमा अधिनियम की धारा **14** के तहत है। **[**पैरा **11] [238-**बी-डी**]**

सी.

डी.

3. इस तथ्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि याचिका को उपयुक्त न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए वापस किया जाना है**,** जयपुर में न्यायालय द्वारा किए गए विचार की प्रकृति से यह संकेत मिलता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश **7** नियम **10** और **10** ए के तहत शक्ति का प्रयोग करने से पहले मामले पर विस्तार से विचार करने की आवश्यकता है और उक्त कार्यवाही के दौरान न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है कि उस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से शुरू की गई थी।हालांकि**,** इस मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने उचित प्रस्तुति के लिए याचिका को वापस करने का आदेश दिया था और तारीख तय कर दी गई थी।उक्त आदेश की शुद्धता पर प्रत्यर्थी द्वारा हमला नहीं किया गया था जिसमें याचिका में दिए गए निष्कर्षों की प्रकृति पर आधार उठाकर याचिका को पूर्ण रूप से अस्वीकार करने की मांग की गई थी क्योंकि उस न्यायालय ने याचिका को दुर्भावनापूर्ण नहीं माना था।ऐसी परिस्थिति में**,** उस तथ्य स्थिति में**,** जिसमें जयपुर में न्यायालय द्वारा अनुमति के अनुसार पुनः प्रस्तुत करने में **8** दिनों की देरी के संदर्भ में ही विलंब का मुद्दा उत्पन्न हुआ था**,** जयपुर में न्यायालय के समक्ष बिताई गई पूरी अवधि को दुर्भावनापूर्ण मानने के लिए मामले की पुनः जांच की जाए ताकि अपीलार्थी पर मुकदमा न चलाया जा सके और विचार करने से इनकार किया जा सके।

ई.

एफ.

जी.

एच.

231

मूल बीमा कंपनी लिमिटेड v.मेसर्स तेजारस एसोसिएशन एक्सपोर्ट्स पी. वी. टी. लिमिटेड।

अधिनियम**, 1996** की धारा **34** के तहत कार्यवाही जो पहली बार में सीमा की अवधि के भीतर शुरू की गई थी**,** उसके गुण**-**दोष के आधार पर उचित नहीं होगी।उस दृष्टिकोण से**,** जिला न्यायाधीश**,** जोधपुर द्वारा पारित सीमा अधिनियम की धारा **14** और धारा **3** के तहत दायर आवेदन पर पारित आदेश और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश टिकाऊ नहीं हैं।उन्हें तदनुसार अलग रखा जाता है।नतीजतन**,** मध्यस्थता आवेदन में कार्यवाही जिला न्यायाधीश**,** जोधपुर की फाइल में बहाल कर दी जाती है।पक्षकार उस न्यायालय से नोटिस/समन जारी किए बिना उपस्थित होने की पहली तारीख के रूप में उक्त न्यायालय के समक्ष **15.10.2019** पर उपस्थित होंगे।**[**पारस **12-15] [239-B-H]**

बी.

सी.

श्री अमर चंद इनामी बनाम भारत संघ **(1973) 1** एससीसी

115 :[1973] 2 एस**.** सी**.** आर**. 684-**निर्भर

जोगिंदर तुली बनाम एस**.** एल**.** भाटिया और दूसरा **(1997) 1** एस**.** सी**.** सी

502 :[1996] 7 पूरक।एस. सी. आर. 221; एस. गणेशराजू (मृत)

एल. आर. और ए. एन. आर. वी. के माध्यम सेनरसम्मा (मृत) एल. आर. और अन्य के माध्यम से। (2013) 11 एससीसी 341; भारत संघ बनाम लोकप्रिय

डी.

निर्माण कंपनी (2001) 8 एस. सी. सी. 470:[2001] 3

पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 619;** सिम्प्लेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम**.**संघ

भारत (2019) 2 एस. सी. सी. 455:[2008] 5 एससीआर 1108;

मेसर्स कंसोलिडेटेड इंजीनियरिंग एंटरप्राइजेज बनाम प्रधान सचिव, सिंचाई विभाग और अन्य।

ई.

(2008) 7 एस**.** सी**.** सी**. 169-**मामला कानून संदर्भ के लिए संदर्भित

[1973] 2 एससीआर **684**

उस पर भरोसा करें

पैरा **8**

[1996] 7 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 221** पैरा **8 (2013) 11** एस**.** सी**.** सी**. 341** पैरा **10 [2001] 3** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस**.** सी**.** आर**. 619** पैरा **10 [2008] 5** एस**.** सी**.** आर**. 1108** पैरा **10 (2008) 7** एस**.** सी**.** सी**. 169** पैरा **11** को संदर्भित

एफ.

जी.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2009 की सिविल अपील सं. 6524।

एस. बी. सिविल मिस्क में जोधपुर में राजस्थान के उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश <आई. डी. 1 से।2008 की अपील सं. 1103।

एच.

232

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 13 एस सी आर।

ए.

डॉ. मीरा अग्रवाल, रमेश चंद्र मिश्रा, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

पुनीत जैन, सुश्री क्रिस्टी जैन, हर्ष जैन, हर्षित खांडुजा, अभिनव देशवाल, सुश्री प्रतिभा जैन, अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी.

ए. एस. बोपन्ना, जे.

1. अपीलार्थी बीमा कंपनी ने प्रत्यर्थी कंपनी के संयंत्र और मशीनरी के संबंध में अग्नि बीमा पॉलिसी जारी की थी।जिस राशि के लिए इसका बीमा किया गया था, वह Rs.70,00,000/- (केवल सत्तर लाख रुपये) की राशि थी।01.12.1999 पर जारी की गई नीति के संबंध में, 23.04.2000 पर दावा तब किया गया जब प्रत्यर्थी के परिसर में आग की दुर्घटना हुई।दावे के संबंध में, अपीलकर्ता बीमा कंपनी ने 06.12.2000 पर प्रत्यर्थी

को रुपये 7,98,019-(सात लाख नब्बे-आठ हजार उन्नीस रुपये केवल) की राशि की पेशकश की।प्रत्यर्थी ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, इसके बाद 20.09.2001 पर एक बैठक बुलाई गई, जिसमें विजया बैंक भी मौजूद था, जिसके कहने पर नीति जारी की गई थी। उक्त बैठक में, अपीलकर्ता बीमा कंपनी ने प्रत्यर्थी को Rs.33,80,925/- (केवल तैंतीस लाख अस्सी हजार नौ सौ पच्चीस रुपये) की राशि का भुगतान करने के प्रस्ताव को संशोधित किया। उक्त राशि भी प्रत्यर्थी को स्वीकार्य नहीं थी, लेकिन विजया बैंक के माध्यम से प्रत्यर्थी को Rs.25,00,000/- (केवल पच्चीस लाख रुपये) की राशि का भुगतान किया गया था।इसलिए प्रत्यर्थी इस बात से व्यथित था कि बीमा प्रतिपूर्ति के दावे को पूरा नहीं किया गया था, उसने 2002 का ओ. पी. संख्या 146 दाखिल करके राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली (संक्षेप में "एन. सी. डी. आर. सी".) से संपर्क किया था।उक्त शिकायत को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि दावे में कानून के जटिल प्रश्न शामिल हैं और दीवानी अदालत के पास मामले का फैसला करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

सी.

डी.

ई.

एफ.

2. हालाँकि, इस मामले को अंततः तीन विद्वान मध्यस्थों वाले एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा मध्यस्थता के लिए भेजा गया था।मध्यस्थता कार्यवाही में, दिनांक 2 का एक निर्णय पारित किया गया था, जिसके तहत तीन में से दो मध्यस्थों ने प्रति वर्ष 18 प्रतिशत ब्याज के साथ 90,000/- (केवल 44 लाख नब्बे हजार रुपये) की राशि प्रदान की।चूंकि, अपीलार्थी द्वारा Rs.25,00,000/- की राशि का भुगतान पहले ही 20.09.2001 पर किया जा चुका था, इसलिए पुरस्कार में कुल रु। 70,00,000-(केवल सत्तर लाख रुपये) जिसके लिए इसका बीमा किया गया था।हालांकि, तीसरे विद्वान मध्यस्थ ने ए से असहमति जताई।

जी.

एच.

233

मूल बीमा कंपनी लिमिटेड v.मेसर्स तेजारस एसोसिएशन एक्सपोर्ट्स पी. वी. टी. लिमिटेड. [ए. एस. बोपन्ना, जे.] ए.

बहुमत पुरस्कार और माना कि रु। 33,80,925-अपीलकर्ता बीमा कंपनी द्वारा दी गई पेशकश उचित और उचित थी।इसके बाद अपीलार्थी ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में "अधिनियम, 1996") की धारा 33 के तहत एक आवेदन दायर किया

जिसमें दिनांक 1 के निर्णय से संबंधित स्पष्टीकरण और निर्णय में बताए गए मध्यस्थता के स्थान के संबंध में भी स्पष्टीकरण की मांग की गई।अधिनियम की धारा 33 के तहत दायर उक्त आवेदन को 17.12.2004 दिनांकित आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। इसके अनुसार अपीलकर्ता बीमा कंपनी ने दिनांकित 28.06.2004 के पुरस्कार और दिनांकित 17.12.2004 के आदेश पर हमला करने के लिए 24.02.2005 पर अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत याचिका दायर की।चूंकि, पुरस्कार ने संकेत दिया कि यह जयपुर में पारित किया गया था और तीसरे विद्वान मध्यस्थ ने अपने आदेश में मध्यस्थता न्यायाधिकरण का स्थान जयपुर में घोषित किया था, इसलिए अपीलकर्ता बीमा कंपनी ने विद्वान जिला न्यायाधीश, जयपुर के समक्ष 24.02.2005 पर याचिका दायर की।

बी.

सी.

3. कथित कार्यवाही में उपस्थित होने पर प्रत्यर्थी ने जयपुर में आयोजित की जा रही कार्यवाही पर आपत्ति जताई थी, क्योंकि प्रत्यर्थी के अनुसार कार्रवाई का पूरा कारण जोधपुर में उत्पन्न हुआ था।जयपुर के विद्वान जिला न्यायाधीश ने प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने पर दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से याचिका को उस न्यायालय के समक्ष बनाए रखने योग्य नहीं माना था, लेकिन सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 10 और 10 ए के तहत शक्ति का प्रयोग किया और याचिका को अपीलार्थी बीमा कंपनी को वापस कर दिया और निर्देश दिया कि पक्षकार उस याचिका को प्रस्तुत करने के लिए 2 पर जोधपुर के विद्वान जिला न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित होंगे और मामले के साथ आगे बढ़ेंगे।हालाँकि, अपीलकर्ता बीमा कंपनी ने 02.04.2008 की निर्दिष्ट तिथि के बजाय केवल 10.04.2008 पर ही जिला न्यायाधीश, जोधपुर के समक्ष याचिका प्रस्तुत की।उस परिस्थिति में, प्रत्यर्थी ने अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत फिर से प्रस्तुत याचिका में जोधपुर के विद्वान जिला न्यायाधीश के समक्ष सीमा अधिनियम की धारा 3 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसे 2008 की मध्यस्थता आवेदन संख्या 18-ए के रूप में गिना गया था।उक्त आवेदन के माध्यम से प्रत्यर्थी ने सीमा के आधार पर याचिका को अस्वीकार करने की मांग की थी।

डी.

ई.

एफ.

4. इस स्तर पर, अपीलकर्ता बीमा कंपनी ने सीमा अधिनियम की धारा 14 के तहत दिनांक 03.05.2008 पर एक आवेदन दायर किया, जिसमें मांग की गई कि जयपुर के विद्वान जिला न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाही में बिताए गए समय को बाहर रखा जाए और याचिका पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाए।प्रत्यर्थी ने यहाँ उक्त आवेदन का विरोध

किया।विद्वान जिला न्यायाधीश, जोधपुर ने दिनांकित 15.07.2008 आदेश के माध्यम से इस पर विचार किया था

जी.

एच.

234

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 13 एस सी आर।

सीमा अधिनियम की धारा 14 और 3 के तहत आवेदन और सीमा अधिनियम की धारा 14 के तहत अपीलकर्ता बीमा कंपनी द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया और सीमा अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रत्यर्थी द्वारा दायर आवेदन को अनुमति दी। नतीजतन, अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत दायर याचिका को खारिज कर दिया गया।इसलिए पीड़ित होने का दावा करने वाली अपीलकर्ता बीमा कंपनी ने जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत अपील दायर की।उच्च न्यायालय ने जोधपुर के विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश पर ध्यान देने के बाद, सीमा अधिनियम की धारा 3 और 14 के तहत आवेदन का निपटारा करते हुए दिनांकित 06.02.2009 आदेश के माध्यम से अपील को खारिज कर दिया है।अपीलार्थी बीमा कंपनी इसलिए एसपी (सी) विविध मामले में उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 06.02.2009 के उक्त आदेश से व्यथित होने का दावा करती है।अपील सं. 1103/2008 इस अपील में इस न्यायालय के समक्ष है।

बी.

सी.

5. हमने डॉ. मीरा अग्रवाल, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता, श्री पुनीत जैन, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अपील पत्रों का अध्ययन किया है।

डी.

6. जैसा कि घटनाओं के क्रम में उल्लेख किया गया है कि नीति 01.12.1999 पर जारी की गई थी और आग दुर्घटना को देखते हुए उसी से संबंधित दावा किया जा रहा है, विवाद अनिवार्य रूप से मुआवजे की मात्रा के संबंध में है जिसके कारण पक्षों के बीच विवाद हुआ था। हालाँकि वर्तमान कार्यवाही अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत याचिका को सीमा के आधार पर खारिज किए जाने की पृष्ठभूमि में उत्पन्न हुई है।उस परिस्थिति में, हालांकि अपीलार्थी ने अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत अपील भी दायर की थी और

अधिनियम, 1996 की धारा 33 के तहत आवेदन पर दिनांकित पुरस्कार और दिनांकित आदेश की शुद्धता या अन्यथा के संबंध में तर्क उठाए थे, इस स्तर पर दावे से संबंधित प्रतिद्वंद्वी तर्कों के गुण विचार के लिए उत्पन्न नहीं होंगे।यह इस कारण से है कि अधिनियम की धारा 34 के तहत कार्यवाही में, जो पुरस्कार पर हमला करने के लिए उपलब्ध उपाय है, बीमा पॉलिसी से संबंधित दावे के गुण-दोष पर बहस को मध्यस्थता पुरस्कार की शुद्धता या अन्यथा पर विचार करने के लिए नहीं लिया गया है और कार्यवाही को सीमा के आधार पर समाप्त किया गया है।नतीजतन, अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत दायर अपील में भी उस पहलू की जांच पर अपील खारिज कर दी गई है।उस दृष्टिकोण से, इस अपील में सीमित विचार यह निर्धारित करने के लिए किया जाना है कि क्या अधिनियम, 1996 ए की धारा 34 के तहत याचिका को खारिज किया गया है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

235

मूल बीमा कंपनी लिमिटेड v.मेसर्स तेजारस एसोसिएशन एक्सपोर्ट्स पी. वी. टी. लिमिटेड. [ए. एस. बोपन्ना, जे.] ए.

सीमा के आधार पर उचित है।इस संबंध में, यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत याचिका पर गुणागुण के आधार पर विचार किया जाना था, तो इसके बाद मामले को विद्वान जिला न्यायाधीश, जोधपुर के समक्ष गुणागुण के आधार पर जाना होगा, ताकि अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत अनुमेय विचार तक सीमित गुणागुण का विज्ञापन किया जा सके।

बी.

7. इन पहलुओं पर ध्यान देते हुए यह तथ्य कि पुरस्कार शुरू में 28.06.2004 पर पारित किया गया था और तीसरे विद्वान मध्यस्थ ने 07.12.2004 पर अधिनियम, 1996 की धारा 33 के तहत आवेदन का निपटारा किया था, वह स्थिति है जो रिकॉर्ड से निकलती है। उस दृष्टिकोण से, अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत विद्वान जिला न्यायाधीश, जयपुर के समक्ष 24.02.2005 पर दायर याचिका अधिनियम, 1996 की धारा 34 (3) के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर है।स्थिति यह भी है कि विद्वान जिला न्यायाधीश, जयपुर ने मूल आवेदन को दिनांकित 12.03.2008 आदेश के माध्यम से वापस कर दिया, जिसमें अपीलार्थी को इसे विद्वान जिला न्यायाधीश, जोधपुर के समक्ष 02.04.2008 पर प्रस्तुत

करने की अनुमति दी गई थी।यदि आदेश के संदर्भ में उक्त तिथि पर याचिका प्रस्तुत की जाती तो देरी पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होती।हालाँकि, जैसा कि देखा गया है कि अपीलकर्ता बीमा कंपनी ने विद्वान जिला न्यायाधीश, जोधपुर के समक्ष याचिका को केवल 10.04.2008 पर फिर से प्रस्तुत किया।उस संदर्भ में बर्खास्तगी की मांग करने वाले सीमा अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रत्यर्थी द्वारा दायर आवेदन को देखते हुए, अपीलार्थी ने सीमा अधिनियम की धारा 14 के तहत आवेदन दायर किया। इसलिए जो मुद्दा उठेगा वह यह है कि क्या विद्वान न्यायाधीश, जोधपुर के समक्ष याचिका की प्रस्तुति को एक नई याचिका के रूप में माना जाना चाहिए और मूल सीमा अवधि से पूरी अवधि के लिए स्पष्टीकरण, यानी पुरस्कार की तारीख से, एक वैकल्पिक क्षेत्राधिकार में मुकदमा चलाने के लिए देरी को माफ करने के उद्देश्य से विचार किया जाना चाहिए, जबकि अधिनियम की धारा 14 के तहत आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए या वर्तमान परिस्थिति में क्योंकि पूर्ववर्ती न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 10 और 10 ए के तहत शक्ति का प्रयोग किया था, इसलिए विचार 02.04.2008 से 10.04.2008 की अवधि के बीच देरी को केवल पुनः प्रस्तुत करने में देरी के लिए किया जाना चाहिए।8. उस संबंध में प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि जब कोई वाद आदेश 7 नियम 10 सी. पी. सी. के तहत वापस किया जाता है जिसे अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय के समक्ष दायर किया जाना है और उस परिस्थिति में जब वाद को अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है तो याचिका को उचित न्यायालय में एक नई याचिका के रूप में स्थापित किया जा सकता है जब ऐसे न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जाता है।इस तरह के विवाद को मजबूत करने के लिए, विद्वान

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

अधिवक्ता ने श्री अमर चंद इनामी बनाम भारत संघ (1973) 1 एस. सी. सी. 115 के मामले में उसके पैरा 9 के संदर्भ में निर्णय पर भरोसा किया है।हमने उक्त विवाद की पृष्ठभूमि में उक्त निर्णय का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है।यद्यपि ऐसा निर्णय उसमें उत्पन्न होने

वाले तथ्यों में दिया गया था और निर्णय आदेश 7 नियम 10 सी. पी. सी. में निहित प्रावधान के संदर्भ में 13.10.1972 पर दिया गया था जैसा कि यह मौजूद था, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 01.02.1977 पर संशोधन किया गया था जिसके तहत नियम 10 ए को सी. पी. सी. के आदेश 7 नियम 10 के तहत प्रतिस्थापित किया गया था। उसी के अवलोकन से संकेत मिलेगा कि संशोधन के बाद नियम 10 (2) के संदर्भ में शिकायत वापस किए जाने के बाद मामला अधर में नहीं छोड़ा जाता है जो पहले मौजूद था।वर्तमान में सी. पी. सी. के नियम 10 ए से आदेश 7 के माध्यम से किसी आवेदन को प्रस्तुत करने के लिए एक तिथि निर्दिष्ट की जानी है ताकि उस न्यायालय के समक्ष उपस्थिति को सक्षम किया जा सके जिसमें उसे फिर से प्रस्तुत किया जाएगा।इसलिए, अदालत में याचिका को फिर से प्रस्तुत करना, जो वापसी के आदेश में इंगित किया गया है, सभी परिस्थितियों में एक नई फाइलिंग के रूप में नहीं माना जा सकता है, जब इसे इस तरह के पुनः प्रतिनिधित्व के लिए वादी को वापस कर दिया जाता है।जोगिंदर तुली बनाम के मामले में यह न्यायालय। एस. एल. भाटिया और एक अन्य (1997) 1 एस. सी. सी. 502 ने अभिनिर्धारित किया है कि सामान्य रूप से, जब वाद को उचित अदालत में प्रस्तुत करने के लिए वापस करने का निर्देश दिया जाता है, तो शायद इसे शुरू से ही शुरू करना पड़ता है, लेकिन उद्धृत मामले में, क्योंकि पक्षकारों द्वारा साक्ष्य पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका था, इसलिए मामले की सुनवाई तदनुसार की गई थी। उच्च न्यायालय ने उस मामले में उस चरण से आगे बढ़ने का निर्देश दिया था जिस पर मुकदमा स्थानांतरित किया गया था और इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित ऐसे आदेश में कोई अवैधता नहीं पाई जिसे कार्यवाही की निरंतरता के रूप में माना जाए।

बी.

सी.

डी.

ई.

9. तत्काल मामले में यद्यपि अपीलार्थी ने उस न्यायालय का संकेत देते हुए आवेदन दायर नहीं किया था जिसमें याचिका को फिर से प्रस्तुत किया जाएगा और सुनवाई की तारीख तय करने की मांग नहीं की थी, जयपुर में न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत प्रत्यर्थी के आवेदन पर विचार करने के बाद याचिका को वापस करने का आदेश देते हुए उस न्यायालय का संकेत दिया था जिसमें इसे प्रस्तुत किया जाना था और उस उद्देश्य के लिए 02.04.2008 पर उपस्थित होने की तारीख।इसलिए, ऐसा नहीं है कि जब याचिका वापस की गई तो कार्यवाही अचानक समाप्त हो गई ताकि अगली फाइलिंग को एक नई याचिका के रूप में माना जा सके।उस परिस्थिति में जब जयपुर के विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा समय दिया गया था और तारीख तय की गई थी और यदि किसी भी कारण से उस तारीख को फिर से प्रस्तुत करना संभव नहीं था, तो अपीलकर्ता के लिए खुला पाठ्यक्रम जयपुर के न्यायालय

के समक्ष सी. पी. सी. की धारा 148 के तहत एक आवेदन दायर करना था, जिसने वापसी का आदेश दिया और जोधपुर के न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए समय निर्धारित किया।

एफ.

जी.

एच.

237

मूल बीमा कंपनी लिमिटेड v.मेसर्स तेजारस एसोसिएशन एक्सपोर्ट्स पी. वी. टी. लिमिटेड. [ए. एस. बोपन्ना, जे.] ए.

पहले दिए गए समय का विस्तार।हालाँकि, चूंकि अपीलार्थी द्वारा इसका सहारा नहीं लिया गया था और याचिका को प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि से लगभग 8 दिनों की देरी के साथ जोधपुर में जिला न्यायालय के समक्ष फिर से प्रस्तुत किया गया था और जैसा कि ऊपर बताया गया है, कोई विस्तार भी नहीं मांगा गया था, इसलिए इस तरह की देरी की माफी मांगी जानी चाहिए थी।चूंकि याचिका देरी से दायर की गई थी और याचिका के साथ कोई अन्य आवेदन नहीं था, इसलिए प्रत्यर्थी ने सीमा अधिनियम की धारा 3 के तहत आवेदन दायर किया, जिसने सीमा अधिनियम की धारा 14 के तहत आवेदन दायर करने में अपीलार्थी द्वारा घुटने टेकने वाली प्रतिक्रिया को प्रेरित किया। यद्यपि उक्त आवेदन में सीमा अधिनियम की धारा 14 को लागू किया गया है और उसके बाद एक अतिरिक्त हलफनामे द्वारा समर्थित किया गया है, आवेदन में किए गए दावे एक आवेदन की प्रकृति में हैं जिसमें याचिका को फिर से प्रस्तुत करने में देरी को माफ करने की मांग की गई है, जबकि अदालत ने जोधपुर में प्रस्तुत करने के लिए तारीख निर्धारित की थी।

बी.

सी.

10. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निर्णय पर भरोसा किया है

एस. गणेशराजू (मृत) के मामले में एल. आर. और ए. एन. आर. बनाम.नरसम्मा (मृत) एल. आर. और अन्य के माध्यम से। (2013) 11 एससीसी 341 से

डी.

यह तर्क दिया जाता है कि सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत विचार किए गए "पर्याप्त कारण" अभिव्यक्ति को उदार निर्माण दिया जाना चाहिए ताकि पर्याप्त न्याय को आगे बढ़ाया जा सके और देरी को तब तक माफ किया जाना चाहिए जब तक कि विरोधी पक्ष समय के भीतर न्यायालय का संपर्क नहीं करने में दुर्भावनापूर्ण प्रदर्शन करने में सक्षम न हो।यह आगे

तर्क दिया जाता है कि इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सीमा के नियम पक्षों के अधिकार को नष्ट करने या पूर्ववत करने के लिए नहीं हैं।दूसरी ओर प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क होगा कि दिया गया उक्त निर्णय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत विचार किए गए "पर्याप्त कारण" पर विचार करने के संदर्भ में है जो अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत कार्यवाही पर लागू नहीं होगा।उस संबंध में, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने भरोसा किया है

ई.

एफ.

भारत संघ बनाम लोकप्रिय निर्माण के मामले में निर्णय पर

कंपनी, (2001) 8 एस. सी. सी. 470 जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सीमा अधिनियम की धारा 5 मध्यस्थता पुरस्कार को अपास्त करने के लिए अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत कार्यवाही पर लागू नहीं होती है।आगे निर्णय में

सिम्प्लेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम.भारत संघ, (2019) 2

जी.

एस. सी. सी. 455 पर यह तर्क देने के लिए भी भरोसा किया जाता है कि अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत मध्यस्थता पुरस्कार को चुनौती देने वाली याचिका पर सीमा अधिनियम की धारा 5 का कोई आवेदन नहीं है।यद्यपि उक्त निर्णय इंगित करेगा कि सीमा अधिनियम की धारा 14 अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत प्रस्तुत एक आवेदन पर लागू होती है, जिसमें कुछ अवधि के अपवर्जन की मांग की जाती है यदि अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत आवेदन निम्नानुसार है -

एच.

अधिनियम, 1996 की धारा 34 (3) के तहत प्रदान की गई सीमा अवधि के भीतर दायर किया गया पहला उदाहरण।कानून की स्थिति कि सीमा अधिनियम की धारा 5 अधिनियम, 1996 की धारा 34 (3) के तहत वैधानिक अवधि को माफ करने के लिए लागू नहीं होती है, अच्छी तरह से साबित है और इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

11. उक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, तत्काल मामले में, जैसा कि पहले ही ऊपर संकेत दिया गया है, मांगी गई देरी की माफी पहली बार अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत याचिका दायर करने के लिए नहीं है।जयपुर में अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत दायर याचिका सीमा की अवधि के भीतर थी और जिस बारे में स्पष्टीकरण दिया जाता है, वह सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 10 के तहत वापस किए जाने के बाद निर्धारित तिथि से आगे याचिका को फिर से प्रस्तुत करने में 8 दिनों की अवधि के लिए है।इसलिए, उस परिस्थिति में भले ही सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत निहित "पर्याप्त कारण" शब्द पर ध्यान दिया जाए, वर्तमान तथ्यों में यह अधिनियम, 1996 की धारा 34 (3) के तहत निर्धारित अवधि से अधिक देरी को माफ करने के लिए अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत याचिका के संदर्भ में नहीं है।हालाँकि इस स्थिति पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि समय को हटाने के लिए दायर किया गया आवेदन सीमा अधिनियम की धारा 14 के तहत है। ऊपर दिए गए उन निर्णयों के अलावा जो यह दर्शाते हैं कि सीमा अधिनियम की धारा 14 अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत कार्यवाही पर लागू होगी, बशर्ते कि धारा 34 के तहत याचिका समय के भीतर दायर की जा रही हो, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने भी निर्णय पर भरोसा किया है।

बी.

सी.

डी.

ई.

मेसर्स कंसोलिडेटेड इंजीनियरिंग एंटरप्राइजेज बनाम का मामला। प्रधान सचिव, सिंचाई विभाग और अन्य। (2008) 7 एस. सी. सी. 169 जिसमें

वही स्थिति दोहराई जाती है।12. हालाँकि, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता उसी निर्णय का उल्लेख करेंगे और तर्क देंगे कि भले ही सीमा अधिनियम की धारा 14 लागू हो, समय का बहिष्कार केवल उन कार्यवाहियों का हो सकता है जो बिना अधिकार क्षेत्र के न्यायालय में शुरू की गई हैं।यह तर्क दिया जाता है कि तत्काल मामले में कार्रवाई का पूरा कारण जोधपुर में हुआ था और इसके बावजूद अपीलार्थी ने जानबूझकर जयपुर में कार्यवाही शुरू की थी जिसे एक वास्तविक गलती नहीं माना जा सकता है।यद्यपि इस तरह का तर्क सामने रखा गया है, लेकिन तत्काल तथ्यों में जिस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, वह यह है कि अतिरिक्त जिला न्यायालय, जयपुर के विद्वान न्यायाधीश ने उस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही की स्थिरता पर विचार करते हुए, दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से कार्रवाई के कारण के संबंध में बहुत ही प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर ध्यान दिया है, जैसा कि तर्क दिया गया है और उस न्यायालय पर भी ध्यान दिया है जिसके समक्ष कार्यवाही ए

एफ.

जी.

एच.

239

मूल बीमा कंपनी लिमिटेड v.मेसर्स तेजारस एसोसिएशन एक्सपोर्ट्स पी. वी. टी. लिमिटेड. [ए. एस. बोपन्ना, जे.] ए.

आरंभ करने की आवश्यकता थी।हालाँकि इस समय कानून की स्थिति को कई निर्णयों के माध्यम से स्पष्ट किया गया है, और स्पष्टता है, उस समय अधिनियम में निहित न्यायालय की परिभाषा के संबंध में विचार की व्याख्या करने की आवश्यकता थी और सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों को ध्यान में रखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि तथ्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए याचिका को उपयुक्त न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए वापस किया जाना है।जयपुर के न्यायालय द्वारा किए गए विचार की प्रकृति से यह संकेत मिलता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 10 और 10 ए के तहत शक्ति का प्रयोग करने से पहले मामले पर विस्तार से विचार करने की आवश्यकता है और उक्त कार्यवाही के दौरान न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है कि उस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से शुरू की गई थी।हालांकि, वर्तमान मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने उचित प्रस्तुति के लिए याचिका को वापस करने का आदेश दिया था और तारीख तय कर दी गई थी।उक्त आदेश की शुद्धता पर प्रत्यर्थी द्वारा इसमें प्रस्तुत किए गए निष्कर्षों की प्रकृति पर आधार उठाकर याचिका की पूर्ण अस्वीकृति की मांग करते हुए हमला नहीं किया गया था क्योंकि उस न्यायालय ने याचिका को दुर्भावनापूर्ण नहीं माना था।

बी.

सी.

डी.

13. ऐसी परिस्थिति में, उस तथ्य की स्थिति में जहां जयपुर में न्यायालय द्वारा अनुमति के अनुसार पुनः प्रस्तुत करने में 8 दिनों की देरी के संदर्भ में ही विलंब का मुद्दा उत्पन्न हुआ था, जयपुर में न्यायालय के समक्ष बिताई गई पूरी अवधि को दुर्भावनापूर्ण मानने के लिए मामले की पुनः जांच करना ताकि अपीलार्थी पर गैर-मुकदमा चलाया जा सके और अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत कार्यवाही पर विचार करने से इनकार किया जा सके, जो पहली बार में सीमा की अवधि के भीतर शुरू की गई थी, उसके गुण-दोष पर उचित नहीं होगा।

ई.

14. उस दृष्टिकोण से, अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश S.No.3, जोधपुर द्वारा पारित सीमा अधिनियम की धारा 14 और धारा 3 के तहत दायर आवेदन और S. B. में उच्च न्यायालय द्वारा पारित 06.02.2009 के आदेश पर 15.07.2008 का आदेश पारित किया गया। (सिविल) विविध।अपील No.1103/2008 टिकाऊ नहीं हैं।उन्हें तदनुसार अलग रखा जाता है।नतीजतन, 2008 के मध्यस्थता आवेदन No.18-A में कार्यवाही को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश S.No.3, जोधपुर की फाइल में बहाल कर दिया गया है।

एफ.

जी.

15. पक्षकार उस न्यायालय से नोटिस/समन जारी किए बिना उपस्थित होने की पहली तारीख के रूप में उक्त न्यायालय के समक्ष 15.10.2019 पर उपस्थित होंगे।इसकी कार्यवाहियों पर गुण-दोष के आधार पर शीघ्रता से विचार किया जाएगा।इस संबंध में सभी विवादों को खुला छोड़ दिया गया है।

एच.

16. तदनुसार, लागत के बारे में कोई आदेश दिए बिना अपील की अनुमति दी जाती है।सभी लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया जाएगा।

देविका गुजराल

अपील की अनुमति दी गई।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.